

"खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड" नामक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों को शामिल करना।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे	
1.	लक्षित एंटीटी का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे साइज़, टर्नओवर आदि।	खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: 5,00,000/- चुकता पूंजी: 5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी अपना कारोबार शुरू नहीं किया है)।	खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: 5,00,000/- चुकता पूंजी: 5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी अपना कारोबार शुरू नहीं किया है)।
2.	क्या अधिग्रहण संबंधित पार्टी लेनदेन (लेनदेनों) के अंतर्गत होगा और क्या अधिग्रहीत की जा रही एंटीटी में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों की कोई रुचि है? यदि हाँ, तो ब्याज की प्रकृति और इसका विवरण तथा क्या यह "स्वतंत्र संव्यवहार" पर किया गया है	यह आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, इसलिए यह पार्टी आरईसी लिमिटेड से संबंधित है। प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कोई रुचि नहीं है।	यह आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, इसलिए यह पार्टी आरईसी लिमिटेड से संबंधित है। प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कोई रुचि नहीं है।
3.	वह उद्योग जिससे अधिग्रहण की जा रही एंटीटी संबंधित है	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र
4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (लक्षित एंटीटी के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण, यदि उसका कारोबार सूचीबद्ध एंटीटी के कारोबार की मुख्य धारा से बाहर है, सहित परंतु यहां तक सीमित नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अधिग्रहण के लिए अपेक्षित किसी भी सरकारी या विनियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अधिग्रहण पूरा करने के लिए निर्देशात्मक समय-सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	प्रतिफल की प्रकृति चाहे वह नकदी प्रतिफल हो या शेयर स्वैप और उसका विवरण	नकद में इक्विटी शेयर पूंजी में 100% सब्सक्रिप्शन।	नकद में इक्विटी शेयर पूंजी में 100% सब्सक्रिप्शन।
8.	अधिग्रहण की लागत या जिस मूल्य पर शेयर खरीदे गए हैं	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर पूंजी में 100% सब्सक्रिप्शन।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर पूंजी में 100% सब्सक्रिप्शन।
9.	शेयरधारिता/अधिग्रहीत नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहीत शेयरों की संख्या	100%	100%
10.	प्राप्त उत्पादों/कारोबार की शृंखला, निगमन की तारीख, पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर का इतिहास, जिस देश में अधिग्रहीत एंटीटी की उपस्थिति है और अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में प्राप्त एंटीटी के बारे में	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्वतंत्र अंतर-राज्यीय

<p>संक्षिप्त पृष्ठभूमि (संक्षेप में)</p>	<p>अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करता है।</p> <p>केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 7 जुलाई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 14वीं एनसीटी की अनुमोदन/सिफ़ारिशों की सूचना दी, जिसमें चरण-IV (7 गीगावॉट): भाग सी के तहत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपर्युक्त के मद्देनजर, खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 27 सितंबर 2023 को निगमित किया गया है (निगमन प्रमाणपत्र 05 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया है)। टीबीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा।</p>	<p>और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करता है।</p> <p>केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 7 जुलाई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 14वीं एनसीटी की अनुमोदन/सिफ़ारिशों की सूचना दी, जिसमें चरण-IV (7 गीगावॉट): भाग ई-2 के तहत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपर्युक्त के मद्देनजर, खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 05 अक्टूबर 2023 को निगमित किया गया है। टीबीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा।</p>